

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

25 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्र-परिषद की वरुचुअल बैठक में मंत्र-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वालंबन, स्वास्थय एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में नरिणय की भूमिका सुदृढ कये जाने के लये 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना-2023' का अनुमोदन कयि।

प्रमुख बडि

- योजना में समय-सीमा में स्वीकृतदिये जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की वविहति महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधमें 1000 रुपए प्रतमिह के मान से राशिसीधे उसके आधार लकिड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- कसिी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में यदप्रतमिह 1000 रुपए से कम राशिप्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशिप्रदाय कर 1000 रुपए तक राशिकी पूर्तकरने का योजना में प्रावधान कयि गया है।
- योजना में समस्त आवेदन नःशुल्क ऑनलाइन प्राप्त कये जाएंगे। इसके अतरिकित हतिग्राही यदस्वयं उपस्थति होकर 'आवेदन के लये आवश्यक जानकारी का प्रपत्र'देती है तो उसकी भी प्रवषिटी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
- वत्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतरगत लगभग एक करोड महिला हतिग्राहयिों को 1000 रुपए प्रतमिह के मान से राशिखाते में जमा की जाएगी।